

## प्रेस नोट:-

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक-18.04.2019

## यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-

जनपदीय पुलिस / यातायात पुलिस गोण्डा द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 38

वाहनों से मु0-17350 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।

## शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 08 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

## 03 वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों के गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थानो द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

## अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 17.04.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल-02 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 38 लीटर कच्ची शराब मय उपकरण बरामद की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है

### थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. हरीराम केवट पुत्र रामदीन नि0 चायीन पुरवा मोजा शाहजीत थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 18 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-96/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

### थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राधे सोनकर पुत्र बुधिराम सोनकर नि0 काजी तरहर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-127/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

### अवैध असलहे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

### गिरफ्तार अभियुक्त -

01. मनोज कुमार पुत्र जोरई निवासी मडवागाँव थाना खरगपुर जनपद गोण्डा।

### बरामदगी-

01. 01 अदद नाजायज तमंचा 12 बोर

02 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

### पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-87/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खरगपुर जनपद गोण्डा।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.04.2019 को व0उ0नि0 कन्हैया लाल दीक्षित मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि राजाजोत में एक व्यक्ति संदिग्ध दिखने पर रोक टोक कर चेक करने पर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज तमंचा 12 बोर मय कारतूस बरामद कर थाना खरगपुर में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. व0उ0नि0 कन्हैयालाल दीक्षित।

02. का0 अखिलेश्वर शर्मा।

03. का0 शशांक शेखर।

## सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 18.04.2019

### एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफास, 02 अभियुक्त गिरफ्तार—

#### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. राजू नाई पुत्र राम निवास निवासी ग्राम वनकसिया शिव रतन थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. विवेकधर द्विवेदी पुत्र रामकृपालधर निवासी ज्ञानीपुर रामप्रसाद निवासी मनकापुर जनपद गोण्डा।

#### पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-113/19 धारा 66डी आई0टी0एक्ट व 379.411.419.420 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

#### राजू नाई का अपराधिक इतिहास—

01. मु0अ0सं0-171/16 धारा 489 बी, 489सी, 41/411 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-172/16 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0-218/16 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0-862/17 धारा 380.411 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
05. मु0अ0सं0-154/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

#### अभियुक्त विवेक का अपराधिक इतिहास—

01. मु0अ0सं0-442/14 धारा 41/109 धारा को0 नगर जनपद गोण्डा।

#### बरामदगी—

01. 21,000 रू0 नगद।
02. 02 अदद अंगूठी सोने की।
03. 05 अदद ए0टी0एम0 कार्ड।

#### संक्षिप्त विवरण—

जनपद गोण्डा में साइबर अपराध करने वाले व ए0टी0एम0 कार्ड बदलकर जनता के लोगों का पैसा निकालने वाले गैंग के अपराधियों की गिरफ्तारी एवं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के क्रम में पुलिस अधीक्षक गोण्डा आर0पी0सिंह, के निर्देशन में थाना नवाबगंज, स्वाट व साइबर सेल की की संयुक्त टीम के अथक प्रयास से आज दिनांक 18.04.2019 को अभियुक्तगण राजू व विवेक को कटी तिराहा कस्बा नवाबगंज से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 21,000 रू0 नगद, 02 अदद अंगूठी सोने की व 05 अदद ए0टी0एम0 कार्ड बरामद कर थाना नवाबगंज में गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

#### अपराध करने का तरीका—

उक्त अभियुक्तगण ए0टी0एम0 मशीन में जाकर भोले-भाले लोगो, जो ए0टी0एम0 का प्रयोग करना कम जानते है या किसी कारण से ए0टी0एम0 से उनका पैसा नहीं निकल रहा होता है को निशाना बनाते है। बातो ही बातो में उनका ए0टी0एम0 कार्ड के पिन की जानकारी करके उनका ए0टी0एम0 कार्ड बदल लेते है और बाद में उसी कार्ड के माध्यम से पैसा निकाल लेते है या शॉपिंग कर लेते है।

#### गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. प्रभारी निरीक्षक अपराध थाना नवाबगंज सुखवीर सिंह भदौरिया।
02. प्रभारी निरीक्षक स्वाट मनोज कुमार सिंह।
03. प्रभारी साइबर सेल रीतू सिंह।
04. हेड का0 श्रीनाथ शुक्ला स्वाट टीम।
05. का0 मुलायम यादव।
06. का0 आदित्य पाल।
07. का0 अजीत यादव।
08. का विनीत कुमार थाना नवाबगंज, 09. का0 कमलेश कुमार थाना नवाबगंज।
10. का0 आदित्य शाह साइबर सेल।

## सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोंडा दिनांक 18.04.2019

### थाना वजीरगंज पुलिस के हथे चढ़ा जिला बदर अभियुक्त

#### गिरफ्तार अभियुक्त—

01.भवानी प्रसाद सिंह पुत्र झिनकाई सिंह निवासी ग्राम रामपुर खरहटा थाना वजीरगंज जनपद गोंडा

#### पंजीकृत अभियोग—

01.मु0अ0सं0— 152/19 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम थाना वजीरगंज जनपद गोंडा।

#### संक्षिप्त विवरण—

जनपद गोंडा में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुरस्कार घोषित ध्वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गोंडा जनपद के द्वारा समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया था। जिस क्रम में वजीरगंज गोण्डा के पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त भवानी प्रसाद सिंह पुत्र जिनका सिंह निवासी ग्राम रामपुर खरहटा थाना वजीरगंज गोंडा को मुखबिर की सूचना पर उसके घर से गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त को जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 18.03.2019 को जिलाबदर घोषित किया गया था। फिर भी अभियुक्त अपने घर पर आता जाता रहता था जिसको प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज प्रमोद कुमार सिंह के नेतृत्व में वजीरगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

#### गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज प्रमोद कुमार सिंह।
02. उ0नि0 प्रतीक पाण्डेय।
03. का0 संदीप कुमार।

## सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 18.04.2019

### 20,000 का इनामी अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार, गैंगेस्टर एक्ट में थाना वांछित—

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता—

01. अखिलेश पाण्डेय उर्फ नान्हू पाण्डेय पुत्र बृजबिहारी पाण्डेय नि0 हरसिंह चौहानपुर थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

#### अभियुक्त का अपराधिक इतिहास—

01. मु0अ0सं0—1988/09 धारा 195.146.147 रेलवे अधिनियम व 12 आर0पी0एक्ट थाना जीआरपी मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0—357/19 धारा 393 भादवि थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0—362/10 धारा 356 भादवि थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0—64/11 धारा 3(1) यूपी गुण्डा एक्ट थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।
05. मु0अ0सं0—1615/11 धारा 419.420.467.468.471 भादवि थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती।
06. मु0अ0सं0—63/11 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।
07. मु0अ0सं0—131/13 धारा 419.420.466 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
08. मु0अ0सं0—271/15 धारा 401.307 भादवि थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।
09. मु0अ0सं0—273/15 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।
10. मु0अ0सं0—273/18 धारा 394.411.420.323 भादवि थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
11. मु0अ0सं0—274/18 धारा 401.411 भादवि थाना धोनपुर जनपद गोण्डा।
12. मु0अ0सं0—275/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
13. मु0अ0सं0—344/18 धारा 406/420 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
14. मु0अ0सं0—137/19, धारा 3(2)गैंगेस्टर एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

## बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध असलहा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस।
02. 2 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा।

## संक्षिप्त विवरण—

जनपद गोण्डा मे अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान मे पुरस्कार घोषित/वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा आर.पी. सिंह द्वारा जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में थाना धानेपुर को बडी सफलता प्राप्त हुई।

उक्त निर्देश के अनुक्रम मे थाना धानेपुर पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को अवैध असलहे अवैध गांजे के साथ आनन्द नगर चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभि० मु०अ०सं० 137/19 धारा 3(2)यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा में वांछित चल रहा था। अभियुक्त थाना मनकापुर का हिस्ट्रीशीटर है व एक अन्तर्जनपदीय लुटेरा है। जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा 20,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

## गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० शादाब आलम।
02. हेड का० शिवनारायन यादव।
03. का० प्रवीण पाण्डेय।
04. रि०का० नवीन